




**FAIRMINE CARBONS PRIVATE LIMITED- OCCUPATIONAL  
HEALTH & SAFETY (OHS) POLICY**

**Vision:** To achieve "Zero Harm" by making health and safety an integral part of our business and a non-negotiable condition of employment.

- Comply with the Mines Act (1952), Coal Mines Regulations, and all statutory obligations directed by the DGMS.
- Provide a safe and healthy work environment to prevent injury and ill-health to all employees and business partners.
- Empower every employee with the "Stop Work Authority" to halt any task perceived as unsafe without fear of reprisal.
- Implement regular health surveillance and risk-based exposure monitoring for all personnel at the mine site.
- Maintain site-specific Safety Management Plans (SMP) and perform continuous Hazard Identification (HIRA).
- Equip all HEMM with mandatory Proximity Warning Systems, Fatigue Monitoring, and GPS tracking.
- Ensure 100% mandatory safety induction and Vocational Training (VT), IME & PME for both permanent and contractual staff.
- Monitor high-wall stability and strata control through scientific methods and strict adherence to safety protocol.
- Maintain a trained Rescue Team and conduct quarterly mock drills for emergency preparedness.

---

**For Fairmine Carbons Private Limited**

  
**Rajeev Kumar Singh**  
**Director & Nominated Owner (Under Mines Act, 1952)**

**Date:** December 24, 2024

**Place:** Ranchi, Jharkhand





## फेयरमाइन कार्बन्स प्राइवेट लिमिटेड - व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (OHS) नीति

दृष्टिकोण (Vision): स्वास्थ्य और सुरक्षा को अपने व्यवसाय का अभिन्न अंग बनाकर और इसे रोजगार की एक गैर-परक्राम्य (अनिवार्य) शर्त मानकर "शून्य क्षति" (Zero Harm) के लक्ष्य को प्राप्त करना।

- खान अधिनियम (1952), कोयला खान विनियम (CMR) और DGMS द्वारा निर्देशित सभी वैधानिक दायित्वों का पूर्ण अनुपालन करना।
- सभी कर्मचारियों और व्यावसायिक भागीदारों को चोट और बीमारी से बचाने के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करना।
- प्रत्येक कर्मचारी को "कार्य रोकने का अधिकार" (Stop Work Authority) देना, ताकि वे बिना किसी डर के किसी भी ऐसे कार्य को रोक सकें जो असुरक्षित प्रतीत हों।
- खदान स्थल पर सभी कर्मियों के लिए नियमित स्वास्थ्य निगरानी और जोखिम-आधारित स्वास्थ्य परीक्षण (Exposure Monitoring) लागू करना।
- स्थल-विशिष्ट सुरक्षा प्रबंधन योजना (SMP) बनाए रखना और निरंतर खतरा पहचान एवं जोखिम मूल्यांकन (HIRA) करना।
- सभी भारी मशीनों (HEMM) को अनिवार्य प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम (Proximity Warning Systems), थकान निगरानी (Fatigue Monitoring) और GPS ट्रैकिंग से लैस करना।
- स्थायी और संविदात्मक (contractual), दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए 100% अनिवार्य सुरक्षा प्रेरण (Safety Induction), व्यावसायिक प्रशिक्षण (VT), IME (प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण) और PME (सावधिक चिकित्सा परीक्षण) सुनिश्चित करना।
- वैज्ञानिक पद्धतियों और सुरक्षा नियमों के सख्त पालन के माध्यम से हाई-वॉल स्थिरता और स्तर नियंत्रण (Strata Control) की निगरानी करना।
- आपातकालीन तैयारी के लिए एक प्रशिक्षित बचाव दल (Rescue Team) बनाए रखना और त्रैमासिक मॉक ड्रिल आयोजित करना।

कृते फेयरमाइन कार्बन्स प्राइवेट लिमिटेड

राजीव कुमार सिंह  
निदेशक एवं नामित स्वामी (खान अधिनियम, 1952 के तहत)

दिनांक: २४ दिसंबर, २०२४  
स्थान: राँची, झारखण्ड

